निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आषाढ़ 1941 (श0)

(सं0 पटना 776) पटना, बृहस्पतिवार, 4 जुलाई 2019

सं० 12/विविध–07/2018–2373
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(मद्य निषेध एवं उत्पाद)

संकल्प
3 जुलाई 2019

विषयः– अनाज आधारित आसवनियों के द्वारा मानव उपभोग हेतु अयोग्य अनाजों से इथनॉल उत्पादन की अनुमति देने के संबंध में।

विभागीय संकल्प संख्या–386 दिनांक 27.01.2016 की कंडिका–4(iii) में प्रावधानित किया गया है कि "राज्य में कार्यरत आसवनियों के द्वारा दिनांक 29.02.2016 के पश्चात् संशोधित सुषव का उत्पादन नहीं किया जाएगा। छोआ आधारित (Molasses based) आसवनियाँ 01 अप्रैल 2016 से अपनी क्षमता का 100 प्रतिशत इथनॉल बनाएंगी। यह इथनॉल तेल कम्पनियों को पेट्रोल/डीजल में समिश्रण (Blending) हेतु आपूर्त्ति किया जाएगा। अनाज आधारित आसवनियाँ (Grain based) आसवनियाँ, 01 अप्रैल 2016 से अपनी क्षमता का 100 प्रतिशत ENA ही बनाएगी।

2. National Policy On Biofuels, 2018 की कंड़िका–5.3 के अन्तर्गत मानव उपभोग हेतु अयोग्य खाद्यानों जैसे–टूटे चावल, गेहूँ आदि से इथनॉल के उत्पादन करने की अनुमति दी गई है। National Policy on Biofuels, 2018 के आधार पर राज्य में स्थापित आसवनियों के द्वारा अनाज आधारित इथनॉल उत्पादन के लिए अनुमति की माँग की गई है।

3. अतः National Policy On Biofuels, 2018 के आलोक में राज्य में स्थापित अनाज आधारित आसवनियों को मानव उपभोग के अयोग्य अनाज से ENA के उत्पादन के लिए विभागीय संकल्प सं0–386 दिनांक 27.01.2016 के द्वारा प्रदत्त अनुमति के अतिरिक्त उन्हें इथनॉल के उत्पादन की भी अनुमति इस शर्त्त के साथ दी जाती है कि आसवनियाँ मानव उपभोग के योग्य अनाज का उपयोग नहीं करेगी।

4. एतद् विषयक विभागीय संकल्प संख्या–386 दिनांक 27.01.2016 की कंडिका–4(iii) में निहित प्रावधान को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 776 -571+500 डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in